(15)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ16(Circular)2005 / एफसीए / प्रमुवसं / Pt. 6/ दिनांकः

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
कोटा संभाग, कोटा / जयपुर संभाग,
अरावली भवन, जयपुर।

मुख्य वन संरक्षक, अजमेर / जोधपुर / भरतपुर /
बीकानेर / उदयपुर / (वन्यजीव) जोधपुर / (वन्यजीव)
भरतपुर / (वन्यजीव) उदयपुर / (वन्यजीव)जयपुर /
(वन्यजीव) कोटा / (वन्यजीव) सरिस्का मु0–अलवर ।

विषयः–वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत भेजे गये प्रस्ताव में कमियों के कारण स्वीकृति में अनावश्यक विलंब।

संदर्भः–अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक II / मिस0 / 618 / 2010–17 / यूपी / राज / दिल्ली / III / 37 दि. 23.6.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र एवं इसके संलग्न प्राप्त वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरणों के संबंध में चेकलिस्ट संलग्न प्रेषित है। कृपया उक्तानुसार प्राप्त चेकलिस्ट अनुसार ही समस्त प्रकरणों को पूर्ण कर अपने स्तर पर निरीक्षण उपरांत ही इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करे, ताकि वनभूमि प्रत्यावर्तन संबंधी स्वीकृति प्राप्त किये जाने में अनावश्यक विलंब न हो। उक्त दिशा निर्देशों की प्रति संबंधित उप वन संरक्षकों को अपने स्तर से भिजवाने का कष्ट करें। उक्त दिशा निर्देश विभागीय वेबसाईट www.rajforest.nic पर भी प्रदर्शित है।

भवदीय,

ह0.

(ए.के. सिंह)
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर
दूरभाष कार्यालय–01412713759, मो.नं. 9414059146

.....PTO

E/: Office documents/C

क्रमांक: एफ16(Circular)2005 / एफसीए / प्रमुवसं / Pt. 6/ 2267-77 दिनांक: 14.7.17

प्रतिलिपि:–निम्नांकित को उक्त संदर्भित पत्र एवं संलग्न पत्रादि की छायाप्रतियों सहित सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जैकब रोड़, अजमेर रोड़, जयपुर।
2. महाप्रबंधक, NHAI, बी–1, नित्यानंद नगर, क्वींस रोड़, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, अम्बेड़कर सर्किल के पास, जयपुर।
4. मुख्य अभियंता, PHED, 2, सिविल लाईन्स, जल भवन, हसनपुरा रोड़, जयपुर।
5. मुख्य अभियंता, RRVPNL, हीरापुरा पॉवर हाऊस, अजमेर रोड़, जयपुर ।
6. अतिरिक्त निदेशक (खान) सतर्कता, पर्यावरण एंव विकास, नोडल अधिकारी वन मामलात, खान एंव भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर ।
7. महाप्रबंधक, PGCIL, बी–4 / 184, चित्रकूट कॉलोनी, प्रताप स्टेडियम के पास, वैशालीनगर, जयपुर ।
8. जनरल मैनेजर, नॉर्थ वेस्ट रेलवे, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर ।
9. टेक्नीकल ऑफिसर को वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित है। (कम्प्यूटर शाखा)

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

297

FCA 29/6/17

पत्रांक– 11/मिस0/618/2010–17/यू0पी0/राज0/दिल्ली/ 111 | 37 दिनांक– 23.06.2017

1224 30/6/17

सेवा में,
मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ

प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (हॉफ),
वन विभाग, अरण्य भवन,
झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान

विषय–वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत भेजे गये प्रस्ताव में कमियों के कारण स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब।

संदर्भ– इस कार्यालय का पत्रांक– 11/मिस0/618/2010/उ0प्र0, राज0, दिनांक– 10.04.2014

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा राज्य सरकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्तवों में निरन्तर एक जैसी त्रुटियां पायी जा रही थी एवं वन भूमि प्रत्यावर्तन की प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के स्तर से बिना परीक्षण किये इस कार्यालय को अग्रेसित कर दिये जाते है, जिस कारण प्रस्ताव में पायी जाने वाली त्रुटियों को सही करने के लिए राज्य सरकार से बार –बार पत्राचार करना पड़ता है जिसे प्रस्ताव की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब होता है।

अतः प्रस्तवों में समान्यतः पायी जाने वाली त्रुटियों की बिन्दुवार सूची उपरोक्त संदर्भित पत्र के साथ संलग्न कर राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि उक्त बिन्दुवार त्रुटियों के अनुसार संबंधित सूचनाएं प्रस्ताव में सही करते हुए प्रस्ताव को अपने स्तर पर परीक्षण कर इस कार्यालय को प्रेषित किया जाए।

परन्तु अभी भी यह पाया गया है कि वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्तावों एवं चाही गयी सूचना की अनुपालन आख्या में निरन्तर वही गलतियों की पुनर्रावृत्ति हो रही है एवं प्रस्ताव की स्वीकृति में अनावश्यक पत्राचार के कारण विलम्ब हो रहा है।

इस संबंध में आपसे पुनः अनुरोध किया जाता है कि भविष्य में जब भी कोई प्रस्ताव भेजना हो, तो उसे हर स्तर पर भली भांति परिक्षण के बाद ही भेजा जाए और उपरोक्त संदर्भित पत्र के साथ संलग्न सूची (छायाप्रति संलग्न) में दर्शायी गयी किसी भी कमी/त्रुटि की पुर्नावृत्ति न हो ताकि कम से कम समय में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जा सके।

यदि भविष्य में वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु प्रेषित प्ररताव में इस पत्र के साथ संलग्न सूची में दर्शायी गयी किसी भी कमी/त्रुटि की पुर्नावृत्ति की जाती है तो प्रस्ताव राज्य सरकार को वापस कर दिया जाएगा और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार/प्रयोक्ता अभिकरण की होगी।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,
23/06/17
(वी0 के0 सिंह)
अति0 प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (के0)

प्रस्ताव में आमतौर पर पायी जाने वाली कमियां/त्रुटियॉ

1. चेक लिस्ट का अधूरा भरा होना।
2. पृष्ठ तालिका न बना होना/अधूरा बना होना एवं पृष्ठ संख्या का न दिया होना।
3. प्रस्ताव में सही कम में पृष्ठ संख्या का न होना।
4. परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सक्षम अधिकारी का अनुमोदन पत्र न लगा होना।
5. वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र का न लगा होना।
6. परियोजना के विभिन्न अवयवों के लिए वन भूमि की आवश्यकता तथा इन अवयवों का स्पष्ट रेखा चित्र एवं क्षेत्रफल की गणना के साथ न होना।
7. प्रस्तावित परियोजना का वन भूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य का न लगा होना।
8. विभिन्न पृष्ठों पर दी गयी सूचना/आकड़ों में भिन्नता।
9. प्रभागीय वनाधिकारी के स्थल निरिक्षण आख्या का अधूरा होना तथा अनुशंसा का अभाव होना एंव हस्ताक्षरकर्ता का नाम व तिथि का न दिया होना।
10. प्रस्ताव में संलग्न विभिन्न दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम व दिनांक का न होना।
11. वृक्षों के वैज्ञानिक नाम न दिया होना।
12. प्रस्ताव में शामिल सभी वन भूमि एवं गैर वन भूमि का विवरण (चेक लिस्ट नं0– 8 एवं 9) तथा बार–चार्ट का लगा हुआ न होना।
13. मलवा उत्सर्जन का विवरण, इसका निस्तारण तथा Reclamation plan का न होना या अधूरा होना या बिना प्रभागीय वनाधिकारी के स्वीकृति के होना।
14. सड़क चौड़ीकरण के मामलें में सड़क की वर्तमान चौड़ाई एवं वर्तमान ROW, प्रस्तावित चौड़ाई एवं प्रस्तावित ROW तथा सड़क के किनारे पौधारोपण के लिए जगह की उपलब्धता का विस्तृत विवरण तालिका स्वरूप में न लगा होना।
15. संयुक्त निरिक्षण आख्या का अधूरा होना।
16. वैकल्पिक संरेखण/स्थल का टोपोशीट पर दर्शाया हुआ न होना।
17. पारेषण लाईन में आने वाले वृक्षों की गणना एवं पातन किये जाने वाले वृक्षों की अलग सूची का न होना।
18. 05/20 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि वाले प्रस्तावों में लागत–लाभ विश्लेषण निर्धारित प्रपत्र पर न होना।
19. छायाप्रति अपठनीय एवं बिना सत्यापन के होना।
20. पूरे प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वृक्षों एवं पातन किये जाने वाले वृक्षों के सारांश का न दिया होना।
21. वृक्षों की गणना सूची एवं उसके सार में भिन्नता।
22. वृक्षों की गणना सूची एवं सार का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित न होना।
23. वन संरक्षण अधिनियम की अवहेलना की सूचना सही तरीके से नही भरा होना।
24. प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाइन का सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित न होना।
25. टोपोसीट की मूल प्रति या रंगीन छायाचित्र न होना।

26. प्रस्तावित स्थल को दर्शाते हुए तथा अक्षांश एवं देशान्तर दर्शाते हुए राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित डिजीटल मैप का लगा हुआ न होना।
27. पैट्रोल पम्प के मामले में राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण/लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित ले आउट प्लान (लंबाई चौड़ाई की गणना के साथ) न होना तथा इसमें दर्शायी गयी लम्बाई एवं चौड़ाई पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप न होना और प्रस्ताव का इन दोनों से मेल खाते हुए न होना।
28. वनाधिकार अधिनियम से संबंधित निर्धारित प्रमाण पत्र एवं अनुलग्नकों सहित न लगा होना तथा हस्ताक्षरकर्ता का नाम, तिथि और मुहर लगा हुआ न होना।
29. नक्शे में शीर्षक तथा तालिका (index)का न होना।
30. गैर वन भूमि पर किये जाने वाले मलवा निस्तारण के लिए भूस्वामी का सहमति पत्र न लगा होना।
31. मलवा निस्तारण के लिए विस्तृत मलवा निस्तारण योजनाका न होना (मलवा निस्तारण योजना हेतु बिन्दुवार चाही गयी सूचनाओं की सारिणी संलग्न है)
32. उपलब्ध कराये गये मानचित्र में शीर्षक तथा संकेत तालिका (index) का न होना।
33. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की मूल प्रति को प्रस्तुत न करना।
34. रिटेल आटलेट जिस भूमि पर स्थापित किया जाना है, उस भूमि की मूल खतौनी संबंधित अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करवाकर पठनीय प्रति प्रस्तुत करें।

सैद्धान्तिक स्वीकृति में लगायी गयी शर्तो की अनुपालन आख्या में कमियां/त्रुटियॉ

1. लगायी गयी सभी शर्तों की अनुपालना भेजने के बजाय अधूरी अनुपालना भेजना।
2. प्रस्ताव में दर्शायी गयी धनराशि एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालनार्थ जमा की गयी धनराशि में अन्तर होना।
3. सैद्धान्तिक स्वीकृति और अनुपालना की तिथि के बीच में लम्बा अन्तराल होने की स्थिति में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र लगा हुआ न होना।
4. कैम्पा में धनराशि प्रस्ताव में प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्तानुसार न जमा होना।
5. एक से अधिक प्रस्तावो से संबंधित धनराशि सम्मिलित रूप से कैम्पा में जमा किया जाना (जिसके फलस्वरूप कैम्पा, नई दिल्ली में धनराशि जमा होने की पुष्टि होने में अनावश्यक विलम्ब होता है)
6. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तानुसार धनाराशि जमा करने हेतु आर0टी0जी0एस0/बैंक ड्राफ्ट का माध्यम न प्रयोग करना एवं आर0टी0जी0एस0/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से धनराशि जमा करने की स्थिति में आर0टी0जी0एस0/बैंक ड्राफ्ट का स्पष्ट एवं सही ब्यौरा न उपलब्ध न कराना।
7. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा कैम्पा फण्ड, नई दिल्ली में सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तानुसार जमा धनराशि की पुष्टि हेतु निर्धारित प्रपत्र का न भरा जाना/त्रुटिपूर्ण भरा जाना।